INDIAN INDUSTRIES ASSOCIATION
AN APEX BODY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
(IN THE SERVICE OF MSME SINCE 1985)

सन्दर्भ सं- 3/UPSIDA/0150 29.04.2020

सेवा में,
श्री सतीश महाना
माननीय कबिनेट मंत्री
औद्योगिक विभाग, उत्तर प्रदेश

विषय: UPSIDA से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में।

महोदय,
आपके नेतृत्त्व में 20 अप्रैल 2020 को UPSIDA द्वारा आहूत विडिओ कांफ्रेंसिंग जिसमे आपने उद्यमियों को जोड़ा और उन्हें अपने सुझाव रखने का मौका दिया के लिए आईआईए सर्वप्रथम आपका धन्यवाद करता है। साथ ही यूपीएसआईडीए द्वारा राज्य के सिंगल विंडो पोर्टल "निवेश मित्र" के माध्यम से 21 अतिरिक्त सेवाओं को जोड़ने के लिए उठाया गया नवीनतम कदम एक प्रशंसनीय कदम है, जो न केवल यूपीएसआईडीए को अपनी सेवाओं के डिजिटलाइजेशन की ओर अग्रसर करेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश में व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने में भी मदद करेगा।

इस सम्बन्ध में आपको अवगत करना है कि 20 अप्रैल 2020 को आपके साथ विडिओ कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई वार्ता मे आईआईए से श्री चेतन भल्ला डिविजनल चेयरमैन, लखनऊ भी उपस्थित थे। इस विडिओ कांफ्रेंसिंग में श्री भल्ला ने आपको UPSIDA से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं एवं उनके सुझावों से अवगत कराया था। जिसपर आपने श्री भल्ला को आग्रह किया था कि वे अपनी समस्याये लिखित रूप में आपको प्रेषित करें। आपके कथनानुसार आईआईए आपको UPSIDA से सम्बन्धित निम्नलिखित समस्याओ के समाधान हेतु प्रेषित कर रहा है:

1. **UPSIDA से सम्बन्धित आदेश/नोटिफिकेशन विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में:** UPSIDA को राज्य में औद्योगिक क्षेत्र/इकाईयों के विकास के लिए नोडल एजेंसी बनाई गई है। इस सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि UPSIDA के वेबसाइट पर UPSIDA द्वारा जारी आदेश/नोटिफिकेशन अपडेट नही है। अंतिम आदेश/नोटिफिकेशन 18.12.2018 का UPSIDA के वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिसके कारण उद्यमियों को UPSIDA द्वारा किये गये आदेशो का ज्ञात नही होता है और उन्हें जानकारी लेने हेतु बार-बार विभाग के चक्कर लगाने पड़ते है जिससे उन्हें अनेक समस्याओं का समना करना पड़ता है।
   अत: आपसे निवेदन है कि UPSIDA को आपने सभी आदेश विभागीय वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट करने के दिशानिर्देश जारी करने की कृपा करें।

2. **इकाई को स्थापित व उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करना और इस पर लगने वाले समय विस्तारण शुल्क से छूट प्रदान करना:** कोविड-19 महामारी के कारण देश में 25 मार्च से लॉकडाउन की स्थिति है। इस स्थिति में नई इकाई स्थापित कर चला पाना MSME के लिए नामुमकिन है। ऐसे स्थिति में

अधिकांश प्रमोटरों / आवंटियों को कहा जा रहा है, कि वे अपनी इकाई का निर्माण कार्य पूरा कर समय से उत्पादन प्रारम्भ करें।

इस महामारी के समय देश को आर्थिक मंदी का समना करना पड़ रहा है। एसी स्थिति में स्वस्थ एवं आर्थिक मन्दी को ध्यान में रखते हुए प्रमोटरों / आवंटियों द्वारा नई इकाई स्थापित कर चला पाना MSME के लिए बहुत मुश्किल है।

उपरोक्त वर्णित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध है कि इन प्रमोटरों / आवंटियों को निम्नलिखित राहत प्रदान करने की कृपा करे:

(i) इकाई को स्थापित कर चलाने हेतु 24 महीने का अतिरिक्त समय प्रदान करने की कृपा करे।
(ii) उपरोक्त बिंदु (i) में दिए गये समय पर नियमानुसार लगने वाले समय विस्तारण शुल्क से प्रमोटरों / आवंटियों को छूट प्रदान कारने की कृपा करे।

धन्यवाद,

मनमोहन

मनमोहन अग्रवाल
महासचिव